न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 10/2023

प्रार्थी–

जस्साराम पुत्र श्री पूनाराम,
जाति जाट, निवासी लीलियां तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण–

01. तहसीलदार, रियांबड़ी
02. पटवारी हल्का जसवंताबाद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

दिनांक 29/8/24

आदेश

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जसवंताबाद की सरहद में स्थित खेत पुराने खसरा नम्बर 106 रकबा 66 बीघा 10 बिश्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 15 बीघा 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 2 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 97 बीघा 3 बिश्वा में से रकबा 22 बीघा 6 बिश्वा रामस्वरूप पुत्र जयराम, बिदामी पत्नी जयराम, मोहनराम पुत्र भंवरूराम जाति जाट निवासी जसवंताबाद के खातेदारी का काश्त कब्जासुद था। उक्त श्री रामस्वरूप पुत्र जयराम, बिदामी पत्नी जयराम, मोहनराम पुत्र भंवरूराम जाति जाट निवासी जसवंताबाद ने खसरा नम्बर 106 रकबा 66 बीघा 10 बिश्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 15 बीघा 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 2बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 97 बीघा 3 बिश्वा में से रकबा 22 बीघा 6 बिश्वा में से 1/2 हिस्सा की भूमि खातेदारी हक जरिये बैचाननामा दिनांक 25–06–2002 को प्रार्थी को बेचान कर दिया जो नामान्तरण संख्या 1713 के जरिये उक्त रामस्वरूप, बदामी व मोहनराम के स्थान पर खोदारी दर्ज हुई। अभी नये सेटलमेंट में पुराने खसरा नम्बर 106 रकबा 66 बीघा 10 बिश्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 15 बीघा 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 2बीघा 3 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 123 रकबा 1.9200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 2.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल रकबा 15.60 हैक्टेयर कायम किये गये। नये सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारियों की भूल या मिलावट से खसरान की जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 1713 का अंकन रह गया तथा उक्त भूमी की खातेदारी पूनः पूर्व खातेदार रामस्वरूप, बिदामी व मोहनराम की पत्नी छोटुड़ी के नाम दर्ज कर दी गई। जो महज एक लिपिकिये भुल है नामान्तरण संख्या 1713 का अंकन नहीं करने से प्रार्थी अपने हक व अधिकार से वंचित हो जायेगा। नई जमाबंदी की नकल पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्त करवाने के लिए पेश है अतः प्रार्थना पत्र मौजा जसवंताबाद के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.9200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 2.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.2400 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6000 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसकी जमांबदी में नामान्तरण संख्या 1713 का अंकन किया जाकर रामस्वरूप, बिदामी व छोटुड़ी के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार रियांबडी को जांच हेतु भेजा गया बाद जांच रिपोर्ट भेजी गई तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

सेटलमेंट के दौरान नामान्तरणकरण संख्या 1713 दिनांक 29—09—2006 का अमल करना शेष रह गया था। जिसे पुराने नामान्तरण संख्या 1713 दिनांक 29—09—2006 का अमल दरामद किया जाना उचित है। रिपोर्ट का अवलोकन किया बहस सुनी गई आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण संख्या 1713 दिनांक 29—09—2006 का पूनः अमल दरामद किया जाकर रामस्वरूप पुत्र जयराम, बिदामी पत्नी जयराम व छोटुड़ी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी जसवन्तांबाद के स्थान पर प्रार्थी जस्साराम पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी लीलियां के नाम पूनः अंकित किया जावे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला नागौर